हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

महेंद्रगढ़

पत्रांक : हकेंवि/रा.भा./8/181/2022 दिनांक 18.04.2022

दिनांक 07.04.2022 को आयोजित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही (जनवरी–मार्च) बैठक कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 07.04.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे–

क्र. सं	नाम	पदनाम	विभाग
1.	प्रो. टंकेश्वर कुमार	कुलपति	हकेवि
2.	प्रो. राजीव कौशिक	परीक्षा नियंत्रक	हकेवि
3.	प्रो. दिनेश कुमार	शैक्षणिक अधिष्ठाता	हकेवि
4.	श्री सुंदर लाल शर्मा	सहायक कुलसचिव	कुलपति सचिवालय
5.	डॉ. अमित कुमार	सहायक कुलसचिव	शैक्षणिक शाखा
6.	श्री राजेश कुमार	अनुभाग अधिकारी	वित्त शाखा
7.	श्री राधेश्याम सिंह	सहायक कुलसचिव	सम्पदा एवं सामान्य प्रशासन अनुभाग
8.	श्री दिनेश चौहान	प्रवर श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय
9.	श्री अजय सिंह	सिस्टम अनालिस्ट	आईसीटी
10.	श्री जितेंद्र मोर	सहायक कुलसचिव	परीक्षा शाखा
11.	डॉ. विनोद कुमार सिंह	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	केंद्रीय पुस्तकालय
12.	श्री शैलेंद्र सिंह	हिंदी अधिकारी	सदस्य सचिव
13.	प्रो. पवन कुमार मौर्य	आचार्य	आमंत्रित सदस्य
14.	डॉ. सरन प्रसाद	सहायक आचार्य	आमंत्रित सदस्य
15.	डॉ. अश्वनी कुमार	सहायक आचार्य	आमंत्रित सदस्य
16.	डॉ. सिद्दार्थ शंकर राय	सहायक आचार्य	आमंत्रित सदस्य
17.	डॉ. मनोज कुमार	सहायक आचार्य	आमंत्रित सदस्य

अनुपस्थित सदस्यः

आधारभूत संरचना अनुभाग व आरटीआई प्रकोष्ठ की ओर से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो सका।

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

हिंदी अधिकारी ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के मदों पर कृत कार्रवाई एवं अनुपालन की स्थिति से समिति को अवगत कराया और सभी मदों को यथावत पारित व अनुमोदित किया गया।

2. संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति के कार्यवृत्त पर चर्चा

हिंदी अधिकारी ने संसदीय राजभाषा की पहली उपसमिति के निरीक्षण जोकि 10 मार्च, 2022 को हिसार में सम्पन्न हुआ था, के कार्यवृत्त से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। कार्यवृत्त के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

इसी क्रम में नवगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय का पुनःनिरीक्षण एक वर्ष बाद सुनिश्चित किए जाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

साथ ही संसदीय राजभाषा समिति की ओर से प्राप्त पत्र पर भी चर्चा हुई। जिसके आलोक में अध्यक्ष महोदय ने हिंदी अधिकारी को विश्वविद्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समेकित रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व शिक्षा मंत्रालय को भी प्रेषित करने के लिएं निर्देशित किया।

3. समेकित रिपोर्ट का मूल्यांकन

नवगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों से प्राप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट के मूल्यांकन के प्रावधान पर भी सहमति बनी। इसके अंतर्गत सभी तेरह प्रशासनिक अनुभागों व कार्यालयों के द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा संसदीय राजभाषा की पहली उपसमिति के निरीक्षण हेतु प्रो. सारिका शर्मा के समन्वयन में गठित समिति सदस्यों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया।

4. तिमाही कार्यशाला का आयोजन

हिंदी अधिकारी ने अध्यक्ष महोदया को अवगत करवाया कि मई, 2022 में ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय में अप्रैल–जून 2022 के लिए हिंदी टाइपिंग पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

5. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन पर चर्चा

हिंदी अधिकारी ने बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेज(परिपत्र/circular, सकंल्प/Resolution, निविदा सूचना/Tender notice, अधिसूचना/Notification, कार्यालय आदेश/Office Order, करार/Contract, प्रशासनिक रिपोर्ट/ Administrative Report, प्रेस विज्ञप्ति/Press Communiqué, संविदा/Contract, अनुज्ञप्ति/License, अनुज्ञापत्र/Permit आदि द्विभाषी रूप (हिंदी तथा अंग्रेजी) में जारी किए जाने आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभागों व कार्यालयों को निर्देशित किया कि सभी रजिस्टरों में अधिकतम प्रविष्टियां हिंदी में करें। अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय के सम्पदा एवं सामान्य प्रशासन अनुभाग को सभी मुहरे राजभाषा अनुभाग के सहयोग से द्विभाषी करवाने के लिए निर्देशित किया।

6. कार्यालय प्रयोग में हिंदी के संदर्भ में प्रयास

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के बाद स्थापना शाखा को निर्देशित किया कि वह नियमित रूप से प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के पत्राचार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना आदि जैसे नियुक्ति पत्र, साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र, कार्यभार प्रदान करने संबंधी आदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी करें।

7. हिंदी में पत्राचार की स्थिति

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी पत्राचार की स्थिति पर सभी सदस्यों को निर्देशित किया कि वह हिंदी अथवा द्विभाषी पत्र जारी करने का प्रयास करें।

8. नियम 8 (4) की अनुपालना

राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए अनुभागों को विनिर्दिष्ट करने का उल्लेख है। इस नियम के तहत 27 मई, 2014 को स्थापना अनुभाग, सम्पदा एवं प्रशासन अनुभाग, आरटीआई प्रकोष्ठ तथा पुस्तकालय को विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। इसके अगले चरण में शैक्षणिक अनुभाग, परीक्षा शाखा व जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय को विनिर्दिष्ट करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक के अंत में सदस्य सचिव सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया।

(शैलेंद्र सिंह)
सदस्य सचिव

(प्रो. टंकेश्वर कुमार)
अध्यक्ष